

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जुलाई 2011—आषाढ़ 27, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2011

क्र. १६४५३-वि.स.-विधान-२०११.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-६४ के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) विधेयक, २०११ (क्रमांक २१ सन् २०११) जो विधान सभा में दिनांक १८ जुलाई, २०११ को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०११

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३ में, उपधारा (१) में,—

(एक) सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“सारणी

शुल्क की दरें

भाग—क

ऐसे विद्युत् उत्पादक (राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत् उत्पादन कम्पनी को छोड़कर) जो विद्युत् उत्पादन कर रहे हैं तथा मध्यप्रदेश में विद्युत् का थोक प्रदाय तथा विक्रय में लगे हैं

५ पैसे प्रति यूनिट

भाग—ख

नीचे दर्शित प्रयोजनों के लिए बेची गई, प्रदाय की गई या उपभुक्त की गई विद्युत् शक्ति:—

अनुक्रमांक	उपभोक्ता की श्रेणी	उपभुक्त विद्युत् (यूनिट में)	विद्युत् की प्रति यूनिट टैरिफ की प्रतिशत में शुल्क की दर
(१)	(२)	(३)	(४)
१.	घरेलू उपभोक्ता	१०० यूनिट तक १०० यूनिट से अधिक २०० यूनिट तक २०० यूनिट से अधिक	९ प्रतिशत १२ प्रतिशत १५ प्रतिशत
२.	गैर घरेलू उपभोक्ता	५० यूनिट तक ५० यूनिट से अधिक	९ प्रतिशत १५ प्रतिशत
३.	खानें (सीमेंट उद्योगों की बद्ध खानों (केप्टिव माइन्स) से भिन्न खान).		४० प्रतिशत

(१)	(२)	(३)	(४)
४.	सीमेंट उद्योग (जिसके अंतर्गत उसकी बद्ध खानें भी हैं)		१५ प्रतिशत
५.	लो टेन्शन उद्योग (१५० एच पी तक और लो टेन्शन या हाई टेन्शन कनेक्शन के साथ १५० एच पी के स्टोन क्रशर		९ प्रतिशत
६.	लघु इस्पात संयंत्र, रोलिंग मिल और स्पंज इस्पात संयंत्र		९ प्रतिशत
७.	अन्य उद्योग (हाई टेन्शन कनेक्शन)		१५ प्रतिशत /
८.	गैर औद्योगिक उपयोग (हाई टेन्शन कनेक्शन)		१५ प्रतिशत
९.	पावर लूम, आटा चक्कियां, आयल एम्सपेलर, थ्रेशर एवं कृषि प्रसंस्करण के उपयोग में आने वाली वैसी ही अन्य मशीनरी, टैक्सटाईल मिलें एवं अन्य संयंत्र		९ प्रतिशत
१०.	ऐसे उपभोक्ताओं के लिए जो अपने स्वयं के उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं (बद्ध शक्ति संयंत्र इत्यादि)		शुल्क की दरें इस प्रकार संगणित की जाएंगी मानो वितरक कम्पनियों द्वारा विद्युत् शक्ति प्रदाय की गई हो.
११.	राज्य सरकार के स्वामित्व से भिन्न विद्युत् उत्पादक संयंत्रों द्वारा उनके सहायक उपकरणों (आक्जीलरीज) हेतु उपभुक्त विद्युत् के लिए		१५ प्रतिशत

परन्तु यदि विद्युत् शक्ति किसी एक प्रयोजन के लिए उपभुक्त की जाने के हेतु बेची गई या प्रदाय की गई यथा स्थिति, विद्युत् शक्ति के वितरक या विद्युत् उत्पादक की सम्मति के बिना, किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए, जिसके लिए शुल्क की कोई उच्चतर दर प्रभार्य हो, उपभुक्त की जाने के हेतु या तो पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाई जाए, तो बेची गई या प्रदाय की गई सम्पूर्ण विद्युत् शक्ति पर उस उच्चतम दर से, जो कि लागू हो, प्रभार लगाया जाएगा:

परन्तु यह और कि कृषि सिंचाई पम्पों, लोकोपयोगी जल स्कीम के लिए तथा राज्य सरकार के स्वामित्व के विद्युत् उत्पादक संयंत्रों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले नगरपालिक निगमों तथा अन्य स्थानीय निकायों की जल तथा मल पंपिंग इन्स्टालेशनों के लिए कोई विद्युत् शुल्क प्रभार्य नहीं होगा.”;

(दो) स्पष्टीकरण में, खण्ड (ड) का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य में विद्युत् के विक्रय और उपभोग पर विद्युत् शुल्क, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) के अधीन उद्गृहीत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई टैरिफ नीति के अनुसार, क्रास सब्सिडी का स्तर विद्युत् प्रदाय की औसत लागत के २० प्रतिशत से कम या अधिक नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग तदनुसार, टैरिफ का युक्तियुक्तकरण कर रहा है और क्रास सब्सिडी के स्तर को इसी सीमा के भीतर सीमित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं की तुलना में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् दरों में अधिक वृद्धि हो रही है।

२. मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ की धारा ३ सन् १९९५ तथा १९९६ में संशोधित की गई थी और विभिन्न उपयोगों के लिए, विद्युत् शुल्क की दरें विद्युत् टैरिफ की प्रतिशतता के आधार पर नियत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्गों पर टैरिफ पुनरीक्षण के कारण, विद्युत् शुल्क में असमान परिवर्तन हुए हैं। अतः विद्युत् शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाना अत्यावश्यक है। अतएव, विद्युत् के विक्रय और उपभोग पर विद्युत् शुल्क की दरों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, १९४९ (क्रमांक १० सन् १९४९) की धारा ३ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ११ जुलाई, २०११

राजेन्द्र शुक्ल

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 342]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जुलाई 2011—आषाढ़ 28 शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2011

क्र. 4435-243-इक्कीस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 21 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH ELECTRICITY DUTY (AMENDMENT)
BILL, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Electricity Duty (Amendment) Act, 2011. | Short title. |
| 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949), in sub-section (1),— | Amendment of Section 3. |
| (i) for the table, the following table shall be substituted, namely:— | |

“TABLE
RATES OF DUTY
PART-A

Such power producer (except the State owned Power Generating Company), those are generating electricity and engaged in bulk supply and sale of electricity in Madhya Pradesh

5 Paise per Unit

PART-B

Electrical energy sold, supplied or consumed for the purposes as shown below:—

S. No.	Consumer Category	Consumed Electricit (in unit)	Rate of duty in percentage of tariff per unit of electricity per month
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Domestic Consumer	Upto 100 units in excess of 100 units upto 200 units In excess of 200 untis	9 Percent 12 percent 15 Percent
2.	Non domestic Consumer	Upto 50 units in excess of 50 units	9 Percent 15 percent
3.	Mines (other than captive mines of cement industries)		40 Percent
4.	Cement industries (including its captive mines)		15 Percent
5.	LT industries (upto 150 HP and Stone Crasher of 150 HP, with LT or HT Connection).		9 Percent
6.	Mini Steel Plant, Rolling Mills and Sponge Iron Plant.		9 Percent
7.	Other Industries (HT Connections)		15 Percent
8.	Non Industrial Uses (HT Connection)		15 Percent
9.	Power-looms, Flour Mills, Oil expeller, thresher and similar other Machinery used for agricultural processing, Texilt Mills and other plants.		9 Percent

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	For consumers who generate energy for their own consumptions (Captive Power Plants etc.)		The rate of duty shall be calculated as if the electrical power is supplied by distribution Companies.
11.	For the power consumed by power generating Plants, other than State owned for their ausiliaries consumption.		15 Percent

(2) Provided that if electrical energy sold or supplied for consumption for any one purpose is used either wholly or partially, without the consent of distributor of electrical energy or producer of electricity, as the case may be, for consumption or any other purpose for which a Higher rate of duty is chargeable, the entire energy sold or supplied shall be charged at the highest rate applicable:

(3) Provided further no electricity duty shall be charged for pump for agricultural irrigation, water and sewage pumping installations of Municipal Corporations and other local bodies used for public utility water schemes and State owned power generating plants.”;

(ii) in explanation, clause (e) shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949) electricity duty is levied on sale and consumption of electricity in the State. As per the tariff policy notified by the Government of India, the level of cross subsidy should not be less or more than 20% of the average cost of power supply. Accordingly, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission is rationalizing the tariff and restricting the level of cross subsidy within this range which is resulting into higher increase in the electricity rates for domestic and agriculture consumers as compared to non-domestic and industrial consumers.

2. Section 3 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 was amended in 1995 and 1996 and rates of electricity duty have been fixed on the bases of percentage of electricity tariff for different uses. This has resulted to uneven changes in the electricity duty on different categories of consumers because of tariff revisions. Hence, rationalization of rates of electricity duty is essential. Therefore, for rationalization of rates of electricity duty on sale and consumption of electricity, suitable amendment is proposed in Section 3 of the Madhya Pradesh Electricity Duty Act, 1949 (No. 10 of 1949).

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 11th July, 2011.

RAJENDRA SHUKLA
Member-in-charge.